भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4674
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गिलियन-बैरे सिंड्रोम जैसे पक्षाघात के मामलों में वृद्धि

†4674. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबी एस) जैसे पक्षाघात के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और विस्तृत और उचित निदान के बाद जीबीएस के पुष्ठ मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे मामलों के निदान की पुष्टि करने तथा उन्हें समान लक्षण प्रदर्शित करने वाली अन्य तंत्रिका संबंधी स्थितियों से अलग करने के लिए क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित किए जाने हैं;

(ग) क्या सरकार ने पुष्ठ जीबीएस के लिए इम्युनोग्लोबुलिन थेरेपी सहित पर्याप्त उपचार प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा अब तक दर्ज किए गए जीबीएस मामलों की संख्या क्या है और प्रत्येक राज्य को आपूर्ति की गई इम्युनोग्लोबुलिन की राज्यवार मात्रा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा भविष्य के मामलों के लिए इम्युनोग्लोबुलिन का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित किए जाने हैं तथा सरकार द्वारा जीबीएस जैसे मामलों की अधिक घटनाओं की रिपोर्ट करने वाले राज्यों में उपचार में तेजी लाने के लिए कौन से कदम उठाए गए-/प्रस्तावित किए जाने हैं;

(ङ) देश भर में ऐसे मामलों के प्रसार की निगरानी और प्रबंधन के लिए क्या प्रोटोकॉल/तंत्र मौजूद हैं और सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शीघ्र पहचान और उपचार में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए गए/प्रस्तावित किए जाने हैं; और

(च) क्या सरकार ऐसे मामलों में वृद्धि के पीछे के कारणों की जांच करने के लिए कोई शोध/महामारी विज्ञान अध्ययन कर रही है और यदि हां, तो मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के 208 मामलों की रिर्पोट की गई है। बड़ी संख्या में रोगियों (192) का सफलतापूर्वक इलाज किया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। जीबीएस के मामलों में गिरावट देखी गई है।

(ख): गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) का निदान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार किया जाता है। रक्त परीक्षण, तंत्रिका चालन वेग (एनसीवी) परीक्षण, मस्तिष्कमेरु द्रव (सीएसएफ) विश्लेषण और चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) परीक्षण सहित एक व्यापक निदान कार्य किया जाता है। ये परीक्षण जीबीएस का सटीक निदान करने में सक्षम बनाते हैं और इसे अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थिति, जो समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं, से अलग करने में सहयोग करते हैं ।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है, जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पुणे नगर निगम ने सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज में सहायता के लिए 1,000 इम्युनोग्लोबुलिन इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने 178 आईवीआईजी इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। मरीजों की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए पर्याप्त मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन और आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है।

(ङ): भविष्य में रोग के प्रसार की जांच और निगरानी के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी)/एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) पोर्टल के तहत निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है , जो संदिग्ध मामलों को पकड़ता है। जीबीएस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(च): रोगज़नक़ों और प्रकोप का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे के विशेषज्ञों वाली केंद्रीय तकनीकी टीम को मौके पर तैनात किया गया था। अधिकांश मामले पुणे के विशिष्ट स्थलों से रिपोर्ट किए गए हैं, नांदेड़ में भी कुछ अतिरिक्त मामले सामने आए हैं। जांच का ध्येय प्रकोप के सटीक स्रोत की पहचान करने पर केंद्रित था, जिसमें जल आपूर्ति प्रणालियों, पानी के स्रोतों और अन्य संगत कारकों की गहन जांच की गई थी। जांच से संकेत मिलता है कि इस जनसंख्या समूह में जीबीएस का सबसे संभावित पुनरावर्तक कैम्पिलोबैक्टर के कारण होने वाला पिछला संक्रमण है।

अनुलग्नक

गिलियन - बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) जैसे पक्षाघात के मामलों में वृद्धि के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4674 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जीबीएस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम;

- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी उपायों को सुदृढ़ बनाना।
- उपचारित एवं स्वच्छ जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं ।
- जल स्रोतों की लीक और खराबी की जांच की जाती है तथा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
- नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं तथा कुओं में क्लोरीनेशन किया गया है।
- स्वच्छ पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है।
- सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाए गए हैं।
- जीबीएस के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में पृथक वार्ड स्थापित किए गए हैं तथा पीएम-जेएवाई योजना के अंतर्गत विशेष पैकेज शामिल किए गए हैं।
- संदिग्ध मामलों के लिए परीक्षण का विस्तार किया है तथा प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सहयोग किया है।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं वाली स्वास्थ्य टीमों की सहायता से घरेलू सर्वेक्षण किया गया।

*****